

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम


क फर्द अहकाम

मुं० नं० ५४/१४ तारीख रू २५-५-१४

उपपान- जोरमल खनाम जोगासिंह वगै
नयागाँव देवलोन

दाया बाबत श्यायी निषेधाज्ञा व इन्फेरेटरी फॉर्म
अन्तर्गत धारा १४४

पार्की की ओर से श्री राम मोरसी गुप्ता एडवोकेटने
दाया बाबत श्यायी निषेधाज्ञा व इन्फेरेटरी फॉर्म
अन्तर्गत धारा १४४ के तहत पेश किया। अभाषन्दी
का अवलोकन किया गया। दाया दर्ज रोजिस्टर कर
प्रीतपादी गण को श्रीये सम्मन से तलाब कर दिनांक
७.५.१४ को पेश हो।


जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

1488-95
25-5-14

७.५.१४
वादी वकील उप/प्रतिवादी नं. १ ल. ५ ब ६ की ओर से
श्री सुरेश चन्द्र शर्मा मेव. नि. वकालतनामा पेश किया।
प्रतिवादी नं. ५, ६ के सम्मन माईसे लाभील हो चुके हैं।
किन्तु उप/नहीं की उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्य
वाली की जाती है। अस्तो जबकि राजस्व लोक कर्ता
कैम्प देवलोन में दि० १४/५/१४ को पेश हो।

१४.५.१४
उप/वाली राजस्व लोक अदालत शिवर... देवलोन
में पेश हुई। आईन्दा दिनांक... ७.६.१४ को पेश हो।

२.६.१४ कबुलाये उप/गतानुसार १३.७.१४ को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

27.3.19 वकूलाय उप०। कारी साक्ष्य पेश करने दिनांक 15.5.19

को पेश हो।

15.5.19

वकूलाय उपस्थित पीठसम अधिकारी - पुनर्विभाग में
जयपुर पधार है। अतः पत्रावली गतनुसार
दिनांक 20.6.19 को पेश हो।

20.6.19

वकूलाय उपस्थित पीठसम अधिकारी - करौली
पधार है। अतः पत्रावली गतनुसार
दिनांक 24.7.19 को पेश हो।

24.7.19

वकूलाय उपस्थित पीठसम अधिकारी - करौली
पधार है। अतः पत्रावली गतनुसार
दिनांक 25.7.19 को पेश हो।

25.7.19

पत्रावली पेश हुई। कारी वकील उपस्थित नहीं
है। कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी कारी
वकील एवं कारीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं
है। अतः यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरबी
में रजिस्ट्रि किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार
होकर नम्बर से काम हो।

ज. जि. कलक्टर
टोडाभीम (करौली)